सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 828 राँची, गुरुवार 21 कार्तिक, 1937 (श०)

12 नवम्बर, 2015 (ई०)

योजना-सह- वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

संकल्प

5 नवम्बर, 2015

विषय: राज्य कर्मियों के ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत सम्पुष्टि के प्रावधान को समाप्त कर प्रक्रिया के सरलीकरण से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1779/वि. दिनांक 21 मई, 2014 में आंशिक संशोधन के संबंध में।

संख्या-6/एस-06(प्रो.)-03/2009/3282/वि०--वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या 5207/वि०, दिनांक 14 अगस्त, 2002 एवं संकल्प संख्या 2981/वि०, दिनांक 1 सितम्बर, 2009 के द्वारा राज्यकर्मियों को ACP/MACP स्वीकृत करने हेतु प्रावधान निरूपित है । उक्त संकल्पों में निहित ACP/MACP की सम्पुष्टि के प्रावधान को वित्त विभाग के संकल्प सं. 1779/वि. दिनांक 21 मई, 2014 द्वारा समाप्त कर प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है ।

2. उक्त संकल्प के कंडिका-5 (VI) में अधोलिखित प्रावधान है:-

''स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा के बाद आदेश/अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।''

3. क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों के ACP/MACP की स्वीकृति हेतु उक्त प्रावधान के अनुपालन के क्रम में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि क्षेत्रीय स्तर पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार नहीं होने के

फलस्वरूप क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों के ACP/MACP के मामले में स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के बाद आदेश निर्गत करने के पूर्व विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के लिए संबंधित कर्मियों के सेवापुस्त प्रशासी विभाग को भेजी जा रही है। फलतः आदेश निर्गत करने में विलम्ब हो रहा है तथा सम्पुष्टि के प्रावधान को समाप्त कर प्रक्रिया के सरलीकरण किये जाने के मूल उदेश्य की पूर्त्ति नहीं हो रही है ।

4. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रक्रियागत विलम्ब को समाप्त करने के उदेश्य से संकल्प संख्या 1779/वि॰ दिनांक 21 मई, 2014 के कंडिका-5 (VI) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

''सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय तथा राज्य स्तरीय संवर्ग के कर्मियों के मामले में विभागीय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति के अनुशंसा के बाद आदेश/अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अन्य संवर्ग के कर्मियों के मामले में स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के बाद आदेश निर्गत करने के पूर्व संबंधित जिला लेखा पदाधिकारी की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।''

5. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1779/वि॰ दिनांक 21 मई, 2014 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 3071/वि॰ दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 के क्रम में दिनांक 26 अक्टूबर, 2015 की बैठक के मद सं॰ 07 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अमित खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 828—50 ।